

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अगस्त, 2019, जिसे सा.का.नि. 600 (अ) दिनांक 26 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में,-

- (i) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 13 में, “राशि के बराबर” के स्थान पर “राशि और विषयगत वस्तु के अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर” पढ़ें; और
- (ii) पृष्ठ 2 पर, शुल्क सारणी में, कॉलम (2) में, “3904 21 10, 3904 21 90, 3904 22 10, 3904 22 90, 3904 10 90” के स्थान पर “3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00” पढ़ें;

(फाइल संख्या 354/110/2019-टीआरयू)

)रूचि बिष्ट(
अवर सचिव, भारत सरकार